

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

OFFICE ORDER NO. 48 OF 2021

- Ref:- i) Office Order No.50 of 2018 & 2013
ii) Office Order No. 51 of 2007
iii) Office Order No. 55 of 2006
iv) Office Order No.17 of 2001
v) Office Order No. 40 of 2000

Sub:- Delegation of Power to EDIP for calling Open Tender in PR Dte.

The delegation of power to EDIP for calling open tender in PR Directorate for publications, the constitution of Tender Committee shall be as under:

S. No.	TC level and accepting authority	Value limit
1.	Director level Tender Committee Director (GA) as Convener Member and JD/Dir. (Finance) as Finance Member and third Member from any Directorate. Accepting Authority EDIP	Up to Rs.5 crores

2. The above issues with the approval of the competent authority and concurrence of Finance Directorate.

No. 2021/O&M/5/5

Dated:02.09.2021



(B.Majumdar)

Joint Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office and at Dayabasti.

Copy to:

EDIP, EDF(X)-II, Dir./GA

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2021 का कार्यालय आदेश सं. 48

- संदर्भ:- i) 2018 एवं 2013 का कार्यालय आदेश सं. 50
ii) 2007 का कार्यालय आदेश सं. 51
iii) 2006 का कार्यालय आदेश सं. 55
iv) 2001 का कार्यालय आदेश सं. 17
v) 2000 का कार्यालय आदेश सं. 40

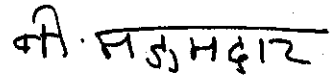
विषय:- जन संपर्क निदेशालय में खुली निविदा आमंत्रित करने के लिए कार्यपालक निदेशक, सूचना एवं प्रसार को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

जन संपर्क निदेशालय में प्रकाशन हेतु खुली निविदा आमंत्रित करने के लिए कार्यपालक निदेशक, सूचना एवं प्रसार को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। निविदा समिति का गठन निम्नानुसार किया जाए:

क्र.सं.	निविदा समिति का स्तर और स्वीकारकर्ता प्राधिकारी	मूल्य की सीमा
1.	निदेशक स्तरीय निविदा समिति संयोजक सदस्य के रूप में निदेशक (सामान्य प्रशासन) और वित्त सदस्य के रूप में संयुक्त निदेशक/निदेशक (वित्त) तथा तीसरा सदस्य किसी भी निदेशालय से हो सकता है। स्वीकारकर्ता प्राधिकारी कार्यपालक निदेशक, सूचना एवं प्रसार	5 करोड़ रुपए तक

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

सं. 2021/ओ एंड एम/5/5
दिनांक: 02.09.2021


(बी. मजुमदार)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय और दयाबस्ती के सभी अधिकारी और शाखाएँ

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्यपालक निदेशक, सूचना एवं प्रसार, कार्यपालक निदेशक वित्त(व्यय)-II, निदेशक/सामान्य प्रशासन